न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, खगड़िया

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–08/2015

संजय कुमार .....पुनरीक्षणकर्त्ता

बनाम

रागनी देवी .....विपक्षी

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख–स 3.
22.07.15	**आदेश** पुनरीक्षणकर्त्ता संजय कुमार व अश्विनी कुमार पे0–स्व0 विद्यानंद प्रसाद, ग्राम–सरैया, थाना–चौथम, जिला–खगड़िया ने श्रीमती रागनी देवी पति श्री विजय कुमार, ग्राम–सरैया, थाना–चौथम, जिला–खगड़िया को विपक्षी बनाते हुए भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–02/2014–15 में दिनांक 30.01.2015 को पारित आदेश से क्षुब्ध होकर यह पुनरीक्षण वाद लाया है। पुनरीक्षणकर्त्ता का कहना है कि मौजा–सरैया; तौजी संख्या–540, खाता संख्या–339, खेसरा संख्या–1265, रकवा–06 कट्ठा 16 धूर जमाबंदी संख्या–225 जो डोमनलाल साह पे0–गोपी साह के नाम अन्य जमीन के साथ कायम थी। डोमनलाल साह के मृत्यु के बाद उनके तीन पुत्र रामशरण प्रसाद, शिवनंदन प्रसाद एवं वैधनाथ प्रसाद आपस में जमीन का बंटवारा कर लिया, जिसमें बैधनाथ प्रसाद को 02 कट्ठा 11 धूर 07½ धूरकी जमीन प्राप्त हुई जिसपर वे दखलकार हुए। बैधनाथ प्रसाद के मृत्यु के बाद उनके तीन लड़के अश्विनी कुमार, संजय कुमार एवं ब्रहम पियुश कुमार ने आपसी बंटवारा विवादित जमीन का कर लिया, जिसमें अश्विनी कुमार पुनरीक्षणकर्त्ता संख्या–02 के हिस्से में पूरी 02 कट्ठा 11 धूर 07½ धूरकी जमीन हिस्से में आयी। पुनरीक्षणकर्त्ता के कथन अनुसार खेसरा संख्या–1443 का 02 कट्ठा 05 धूर तथा उपर वर्णित जमीन मिलाकर कुल 04 कट्ठा 16 धूर 07½ धूरकी जमीन पुनरीक्षणकर्त्ता संख्या–01. संजय कुमार को दिनांक 02.02.2012 को बिक्री कर दिया तथा उसका नामांतरण भी होकर जमाबंदी संख्या–1619 संजय कुमार के नाम कायम हो गया। यह जमाबंदी अंचल अधिकारी, चौथम का दाखिल खारिज वाद संख्या–1672/2011–12 द्वारा दिनांक 05.05.2012 को अंचल अधिकारी, चौथम द्वारा पारित आदेश के तहत सृजित हुआ है। उनका आगे कहना है कि विपक्षी रागिनी देवी ने 14.06.2012 को प्रश्नगत भूमि एक भोला शंकर वर्मा से क्रय कर ली, परन्तु भोला शंकर वर्मा ने नामांतरण आदेश दिनांक 05.05.2012 के विरूद्ध अपील नहीं किया। इसलिए उसे अंचल अधिकारी के पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्षी रागिनी देवी ने अंचल अधिकारी के नामांतरण आदेश दिनांक 05.05.2012 के विरूद्ध भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खगड़िया के न्यायालय में दिनांक 28.04.2014 को अपील दायर किया है, जिसे भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खगड़िया ने दिनांक 30.01.2015 को स्वीकृत कर लिया है। बाबजूद इसके कि वे प्रश्नगत भूमि से संबंधित अपने पक्ष के कागजात निम्न न्यायालय में दाखिल कर चुकें थें।	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
	विपक्षी रागिनी देवी ने प्रतिउत्तर दाखिल कर कहा है कि एक हरिलाल साह ने दिनांक 26.04.1911 को अजनश साह व भागवत साह पे0–रामलाल साह एवं महादेव साह व डोमन साह पे0–गोपी साह को 06 बीघा 17 कट्टा 09 धूर जमीन बिक्री कर दी, जिसकी विस्तृत ब्यौरा आपत्ति आवेदन पत्र के पृष्ट संख्या–02 में दिया है। अजनश साह एवं भागवत साह 03 बीघा 08 कट्टा 19 धूर एवं डोमन साह व महादेव साह 03 बीघा 08 कट्टा 19 धूर पर दखलकार हुए। डोमन साह संयुक्त परिवार के कर्त्ता होने के कारण भूतपूर्व जमींदार द्वारा डोमन साह के नाम से रिटर्न दाखिल किया गया तथा जमींदारी उन्मूलन के बाद अंचल सिरिस्ता में डोमन साह के नाम से जमाबंदी कायम हुई। आपसी बंटवारे के बाद डोमन साह को 01 बीघा 14 कट्टा 8½ धूर तथा महादेव साह को भी 01 बीघा 14 कट्टा 8½ धूर खेसरा संख्या–1265, रकवा–06 कट्टा 16 धूर जमीन को मिलाकर प्राप्त हुआ तथा दोनों भाई अपने–अपने दखल में आयें। महादेव साह अपने पीछे एक पुत्री चिंता देवी को छोड़कर स्वर्गवास हो गये तथा 01 बीघा 14 कट्टा 8½ धूर जमीन पर चिंता देवी दखलकार हुई। चिंता देवी की मृत्यु के बाद उनके दो पुत्र भोला शंकर वर्मा एवं विकास चंद्र वर्मा चिंता देवी द्वारा छोड़ी गयी जमीन पर दखलकार हुए। इनका यह भी कहना है कि खाता संख्या–339, खेसरा संख्या–1265, रकवा–06 कट्टा 16 धूर जमीन महादेव साह के हिस्से में बंटवारे में आयी थी। भोला शंकर वर्मा एवं विकास चंद्र वर्मा के बीच बंटवारे में खेसरा–1265 का संपूर्ण रकवा–06 कट्टा 16 धूर भोला शंकर वर्मा के हिस्से में आयी। विपक्षी का आगे कहना है कि दिनांक 29.11.1995 को भोला शंकर वर्मा ने उनके पक्ष में एक सूदभरना केवाला निष्पादित किया, जिसपर वे 12 साल से अधिक समय से दखलकार चली आ रही है। दिनांक 14.06.2012 को भोला शंकर वर्मा जो महादेव साह के नाती है ने विपक्षी रागिनी देवी के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया तथा रागिनी देवी उसपर स्वत्व के साथ दखलकार हुई। इन्होंने यह भी बताया कि विवादित खेसरा संख्या–1265, रकवा–06 कट्टा 16 धूर, खेसरा–1266, 1267 एवं 1268 के साथ मिला दिया गया है तथा विपक्षी के दखल कब्जे में चला आ रहा है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना तथा पक्षकार द्वारा दाखिल कागजातों का भी गहन अध्ययन किया। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खगड़िया का आदेश दिनांक 30.01.2015 का भी गहन अध्ययन किया। उन्होंने भूमि के वारिसों के बीच स्वत्व को लेकर विवाद बताया है तथा स्वत्व वाद द्वारा अपना–अपना हिस्सा का निर्धारण कराने का मंतव्य दिया है, तथा वारिसानों के बीच आपसी बंटवारा बिहार भूमि दाखिल खारिज नियमावली, 2012 के नियम 3(VI) के अनुसार नहीं होने का भी जिक्र किया है। उन्होंने अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, चौथम का नामांतरण वाद संख्या–1672/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 05.05.2012 को खारिज कर दिया है। मैंने अंचल अधिकारी, चौथम के प्रश्नगत नामांतरण अभिलेख की छाया प्रति का अवलोकन किया। नामांतरण कर्मचारी के प्रतिवेदन प्रपत्र में हल्का कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित है कि जमाबंदी रैयत के पौत्र अश्विनी कुमार से बजरिये केवाला द्वारा क्रेता को जमीन प्राप्त है एवं दखलकार है। अंचल अधिकारी ने दिनांक 05.05.2012 को आवेदक संजय कुमार जो इस वाद में पुनरीक्षणकर्त्ता संख्या–01 है के नाम नामांतरण आदेश पारित कर	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहि 3.

दिया है।

विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खगड़िया ने पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा क्रय किया गया खाता संख्या–346, खेसरा संख्या–1443 की भूखंड को गैर मजरूआ खास बताया है तथा यह भूखंड पुनरीक्षणकर्त्ता के विक्रेता को कैसे प्राप्त हुई इसका कोई वैध कागजात न तो निम्न न्यायालय में न ही इस न्यायालय में प्रदर्श किया गया है।

विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खगड़िया ने अपने आदेश में यह भी लिखा है कि वाद ग्रस्त भूखंड को डोमन साह के पुत्रों के द्वारा आपस में बांट लिया गया है, तथा उसी आधार पर भूखंड की बिक्री की गयी है, जबकि चिंता देवी को इसमें हिस्सा नहीं दिया गया है, जबकि उनका पुत्र केवाला करने से बहुत पूर्व 29.11.1995 को विपक्षी को सूद भरना पर दिया था तथा बाद में केवाला किया है। उन्होंने यह भी मंतव्य दिया है कि आपसी बंटवारे में यदि आपसी सहमती नहीं बनती है तो उभयपक्षों को स्वत्व वाद लाकर अपना हिस्सा निर्धारण कराना चाहिए था, परन्तु ऐसा नहीं किया गया।

उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से मैं इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि मामला में स्वत्व न्याय–निर्णीत करने का संश्लिष्ट प्रश्न निहित है, जिसका निदान हेतु सक्षम न्यायालय, व्यवहार न्यायालय है। ऐसी परिस्थिति में बिना स्वत्व निर्धारण का अंचल अधिकारी द्वारा पुनरीक्षणकर्त्ता के पक्ष में दाखिल खारिज वाद संख्या–1672/2011–12 में पारित आदेश जिसमें जमाबंदी रैयत के सभी वारिसानों को खास नोटिस देने का साक्ष्य भी नहीं है को विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–02/2014–15, दिनांक 30.01.2015 द्वारा खारिज करने का आदेश न्यायाकूल प्रतीत होता है, जिसमें रद्दोबदल करने की कोई आवश्यकता नही है तथा इसे यथावत रखा जाता है।

पुनरीक्षणकर्त्ता को सलाह दिया जाता है कि अपना स्वत्व निर्धारण हेतु सक्षम व्यवहार न्यायालय का शरण ले सकते है।

इसी आदेश के साथ वाद का निस्तार किया जाता है।

आदेश की प्रति मूल अभिलेख के साथ निम्न न्यायालय को भेंजे। साथ ही एक प्रति जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को भेंजे।

लेखापित एवं संशोधित

22/7/15

अपर समाहर्त्ता, खगड़िया।

22/7/15

अपर समाहर्त्ता, खगड़िया